

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938

No. 472]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASADHA 20, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

सं. 42/2016-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 678(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.12/2012 सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. सं. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, सशर्त संख्या 28क जहां कहीं भी “परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद या सिन्थेटिक और रेयान वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद” शब्द आते हों, दोनों स्थानों पर “परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद या सिन्थेटिक और रेयान वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद या सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद ” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. बी-354/230/2013-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 38/2016-सीमा शुल्क, तारीख 17 जून, 2016 सा.का.नि. 611(अ), तारीख 17 जून, 2016 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2016

No. 42/2016-Customs

G.S.R. 678(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely:-

In the said notification, in the ANNEXURE, in Condition No. 28A, for the words “the Apparel Export Promotion Council or the Synthetic and Rayon Textile Export Promotion Council”, occurring at both places, the words “the Apparel Export Promotion Council or the Synthetic and Rayon Textile Export Promotion Council or the Cotton Textiles Export Promotion Council” shall be substituted.

[F. No. 354/230/2013-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note : The principal notification No.12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended *vide* notification No. 38/2016-Customs, dated the 17th June, 2016, published *vide* number G.S.R. 611(E), dated the 17th June, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

सं. 32/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 679(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2001 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), तारीख 26 जून, 2001, सा.का. नि. 464(अ), तारीख 26 जून, 2001, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (8) में उपखंड (iii) के बाद निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्यायों 61, 62 या 63 (शीर्ष या उप-शीर्ष 6305, 6309 00 00, 6310 के अंतर्गत आने वाले लेमिनेटिड जूट बैग्स को छोड़कर) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं जिनका ब्राण्ड नेम हो या ब्राण्ड नेम से बेची जाती हों और उनका खुदरा मूल्य एक हजार रुपये या इससे अधिक हो के, विनिर्माण या उत्पादन में लगे प्रत्येक विनिर्माण कारखानों या परिसरों को उपवाक्य (i) और (ii) से छूट प्राप्त होगी।”

[फा. सं. 354/230/2013-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 35/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), तारीख 26 जून, 2001, सा.का.नि. 464(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं.6/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(गै.टै.), तारीख 1 मार्च, 2016 सा.का.नि. 237(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2016

No. 32/2016 – Central Excise (N.T.)

G.S.R. 679(E).—In exercise of the powers conferred by rule 9 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/2001-Central Excise (N.T.) dated the 26th June, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 464 (E), dated the 26th June, 2001, namely :-

In the said notification, in clause (8), after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely,-

“(iv) Every manufacturing factory or premises engaged in the manufacture or production of goods falling under Chapters 61, 62 or 63 (except laminated jute bags falling under headings or tariff item 6305, 6309 00 00 or 6310) of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) bearing a brand name or sold under a brand name and having a retail sale price (RSP) of one thousand rupees and above, shall be exempted from sub-clauses (i) and (ii) above.”.

[F. No. 354/230/2013 –TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 35/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* G.S.R. 464 (E), dated the 16th September, 1993 and last amended by notification No.6/2016–Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2016, published *vide* G.S.R. 237 (E), dated the 1st March, 2016.